Australian Government
Department of Health and Aged Care

वृद्ध देखभाल गृहों में 24/7 पंजीकृत नर्सें

1 जुलाई 2023 से, सभी वृद्ध देखभाल गृहों में निवासियों की देखभाल के लिए हर समय गृह में कम से कम एक पंजीकृत नर्स का उपलब्ध होना अनिवार्य है - सप्ताह में हर दिन 24 घंटे।

इसका अर्थ है कि पूरे ऑस्ट्रेलिया-भर में वृद्ध देखभाल गृहों में रहने वाले लोगों के पास अपनी देखभाल करने और आपातस्थितियों की संभाल में सहायता के लिए पंजीकृत नर्सों की बेहतर सुलभता है।

यह महत्वपूर्ण क्यों है?

दिन या रात में किसी भी समय पंजीकृत नर्स उपलब्ध होने का अर्थ है कि वृद्ध देखभाल निवासियों को जब भी नैदानिक देखभाल की आवश्यकता होती है, यह सुलभ रहती है। पंजीकृत नर्सें आवश्यक चिकित्सीय उपचार प्रदान करती हैं, निवासियों को नुकसान होने का जोखिम कम करती हैं और अस्पताल के आपातकक्षों में अनावश्यक रूप से जाने के प्रकरणों की रोकथाम में सहायता करती हैं। उन्हें निवासियों की देखभाल आवश्यकताओं में परिवर्तनों की पहचान करने और उनपर प्रतिक्रिया करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त होता है, वे देखभाल योजनाओं के बारे में निर्णय ले सकती हैं, वे दवाओं का प्रबंधन कर सकती हैं और अन्य नर्सें उनके निरीक्षण के तहत काम करती हैं।

यदि मेरे वृद्ध देखभाल गृह में हर समय एक पंजीकृत नर्स उपलब्ध नहीं रहती है, तो क्या होगा?

कभी-कभी वृद्ध देखभाल गृह इस जिम्मेदारी को पूरा करने में समर्थ नहीं भी हो पाते हैं। उदाहरण के लिए, पंजीकृत नर्स बीमार होने या चोट लगने के कारण संभावित रूप से पारी (शिफ्ट) में नहीं आ सकती है और वृद्ध देखभाल गृह उनके स्थान पर किसी अन्य का समय पर प्रबंध करने में असमर्थ हो सकता है। ऐसा होने की स्थिति में वृद्ध देखभाल गृहों के पास अन्य वैकल्पिक योजनाएँ होना आवश्यक है।

ऑस्ट्रेलिया में ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों जैसे कुछ हिस्सों में स्थित वृद्ध देखभाल गृहों के लिए गृह में कुछ या पूरे समय के लिए पंजीकृत नर्स उपलब्ध कराना कठिन हो सकता है। सरकार सभी वृद्ध देखभाल गृहों के साथ मिलकर काम कर रही है, ताकि उन्हें अधिक पंजीकृत नर्सें हासिल कर पाने में सहायता मिल सके।

जहाँ कार्यबल की कमी के कारण पंजीकृत नर्सें उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ वैकल्पिक व्यवस्थाएँ लागू करने की आवश्यकता है ताकि निवासियों को इसके बावजूद भी सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण देखभाल मिल पाना सुनिश्चित हो सके।

ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित कुछ वृद्ध देखभाल गृहों को 24/7 पंजीकृत नर्स की जिम्मेदारी से अपवाद मिल सकता है, यदि वे प्रदर्शित कर सकें कि एक पंजीकृत नर्स के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न होने की स्थिति में भी वे अपने निवासियों की नैदानिक देखभाल आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं।

सभी वृद्ध देखभाल गृहों के लिए आवश्यक है कि वे इस बारे में मासिक रूप से रिपोर्ट करें कि हर समय कम से कम एक पंजीकृत नर्स उपलब्ध होने की नई जिम्मेदारी को वे कैसे पूरा कर रहे हैं।

क्या 24/7 पंजीकृत नर्स उपलब्धता की जानकारी प्रकाशित की जाती है?

आप Staffing Star Rating टैब में My Aged Care Find a Provider टूल के माध्यम से देख सकते/ती हैं कि किन वृद्ध देखभाल गृहों में 24/7 पंजीकृत नर्सिंग उपलब्ध है: www.myagedcare.gov.au/find-a-provider/

आप 24/7 RN डैशबोर्ड भी देख सकते/ती हैं, जो हर महीने ऑस्ट्रेलिया के सभी वृद्ध देखभाल गृहों में पंजीकृत नर्स कवरेज को दिखाते हुए प्रकाशित किया जाता है।

यदि मुझे वृद्ध देखभाल गृह में कर्मियों के बारे में चिंताएँ, है, तो मुझे क्या करना चाहिए?

Aged Care Quality and Safety Commission वृद्ध देखभाल गृहों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता के संरक्षण में सहायता करता है। यदि प्रदान की जा रही देखभाल के बारे में कोई चिंताएँ मौजूद हैं, तो यह आयोग उत्तर देगा। इसमें प्रदाता से और अधिक जानकारी का अनुरोध करना या प्रदाता के लिए बिना देरी के कार्य करने की आवश्यकता नियत करना शामिल हो सकता है।

यदि आप वृद्ध देखभाल गृह में कर्मियों के बारे में चिंतित हैं, तो आप agedcarequality.gov.au/making-complaint पर जाकर या 1800 951 822 पर कॉल करके आयोग के पास शिकायत जमा कर सकते/ती हैं।

आइए साथ-मिलकर वृद्ध देखभाल को बदलते हैं

हम ऑस्ट्रेलियावासियों को वृद्ध देखभाल सुधारों के बारे में अपनी राय प्रकट करना जारी रखने के लिए आमंत्रित करते हैं।

agedcareengagement.health.gov.au पर जाएँ।

फोन **1800 318 209** (वृद्ध देखभाल सुधार नि:शुल्क कॉल फोन लाइन)

अनुवाद और दुभाषिया सेवाओं के लिए 131 450 पर कॉल करें और 1800 318 209 के लिए निवेदन करें।

National Relay Service का उपयोग करने के लिए उनकी वेबसाइट nrschat.nrscall.gov.au/nrs पर जाकर अपना पसंदीदा एक्सेस पॉइंट चुनें या NRS Helpdesk को 1800 555 660 पर कॉल करें।